HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 343/2026

1. Smt. Malti, Aged About 36 Years, Wife Of Late Bachhurbari,
2. Monica, Aged About 17 Years, Daughter Of Late Bachchu Singh,
3. Kavita, Aged About 15 Years, Daughter Of Late Bachchu Singh,
4. Tanuu, Aged About 14 Years, Daughter Of Late Bachchu Singh,
5. Khushiras, Aged About 13 Years, Son Of Late Bachchu Singh,
6. Ankit Son Of The Late Bachchu Singh, Aged About 11 Years, (Claimant No. 2 And 6 Are Minor Through Their Natural Guardian Mother, Smt. Maliti Wife Of The Late Bachchu Singh), All Residents Of Raibari Mohalla, Jatori, Police Station Malakheda, Alwar-District.

----Appellants

Versus

1. Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Through Manager And Director, Jyoti Nagar, Jaipur Distt. Jaipur.
2. Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Through Junior Engineer, Malakheda, Alwar District.
3. Smt. Dhappo Devi, Wife Of Shri Bholaram Raibari, Resident Of Raibari Mohalla, Jatori, Police Station Malakheda, Alwar District.
4. Bholaram Son Of Late Hiralal, Resident Of Raibari Mohalla, Jatori, Police Station Malakheda, Alwar District.

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Pankaj Sharma
For Respondent(s) : Mr. Jaivardhan Singh Shekhawat

HON'BLE MRS.JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/05/2026

अपीलार्थीगण–दावेदार–वादीगण की ओर से यह अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–3, जयपुर महानगर–प्रथम (जिसे आगे विचारण न्यायालय से सम्बोधित किया जाएगा) द्वारा दीवानी वाद (क्षतिपूर्ति) संख्या–**31/2021** में पारित निर्णय दिनांक **31.10.2025**, जिसके माध्यम से अपीलार्थीगण का घातक दुर्घटना दावा स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण–दावेदार को प्रत्यर्थी–विभाग–प्रतिवादीगण से कुल क्षतिपूर्ति राशि **12,34,600/**–रूपये दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, से व्यथित होकर एवं उक्त क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार दिनांक 18.03.2019 को समय 02:45 पीएम पर बच्चू सिंह खाली खेत में भेड़–बकरियां चरा रहा था, तभी खेत के ऊपर से गुजर रही 11केवी लाईन का तार टूटकर उस पर गिर गया, जिससे करंट लगने के कारण मौके पर उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की गई। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित किये गये। पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध की गई। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आलोच्य निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि **12,34,600/–** रूपये मय ब्याज दिलाई गई, जिसमें वृद्धि किये जाने हेतु अपीलार्थीगण–दावेदार की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क है कि विद्वान न्यायालय ने मृतक को अर्द्धकुशल श्रमिक मानकर तत्समय की न्यूनतम मजदूरी दर 237 रूपये प्रतिदिन के अनुसार 26 दिन की न्यूनतम मजदूरी कुल 6,162 रूपये को उसकी मासिक आय माना है, जबकि एक माह में 30 कार्य दिवस मानते हुए 237 रूपये प्रतिदिन के अनुसार मृतक की मासिक आय कुल 7,110 रूपये मानी जाकर आय की क्षति की क्षतिपूर्ति की गणना की जानी चाहिए।

उनका तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने मृतक पर आश्रितों की संख्या 05 मानते हुए की आय से उसके स्वयं के खर्च हेतु 1/4 राशि की कटौती की है, जबकि मृतक पर उसके माता–पिता, जो कि प्रत्यर्थी क्रम–3 व 4 है, भी आश्रित हैं। अतः मृतक

पर आश्रितों की संख्या 8 है, जिससे मृतक की आय से 1/5 राशि की कटौती की जानी चाहिए।

उनका यह भी तर्क है कि परम्परागत क्षति के शीर्षक में विद्वान अधिकरण ने साहचर्य की क्षतिपूर्ति स्वरूप 40,000 रूपये तथा सम्पदा की हानि व अंतिम संस्कार हेतु 15–15,000 रूपये, इस प्रकार कुल 70,000 रूपये की राशि दिलाई है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder (2020) Supreme Court (SC) 425 के अनुसरण में मृतक के जीवनसाथी (अपीलार्थी क्रम–1)/संताने (अपीलार्थी क्रम–2 से 6) /माता–पिता (प्रत्यर्थी क्रम–3 व 4) प्रेम, स्नेह व वात्सल्य की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप 40,000 रूपये प्रत्येक तथा 15,000 रूपये अंतिम संस्कार हेतु व 15,000 रूपये सम्पदा की हानि के लिए प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की जावे।

उक्त तर्कों के विरोध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/विभाग की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायिक विनिश्चय National Insurance Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi & Ors. (2017) 16 SCC 680 के अनुसार केवल पत्नी को ही अपने जीवनसाथी की संगति, स्नेह एवं साहचर्य (Spousal Consortium) की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप **40,000/–** रूपये तथा अंतिम संस्कार (Funeral) की मद में **15,000/–** रूपये व सम्पत्ति की हानि (Loss of estate) के लिये **15,000/–** रूपये इस प्रकार कुल **70,000/–** रूपये ही दिलाये जा सकते हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। आलौच्य निर्णय एवं प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

<u>आय की क्षति</u> (Loss of Income)

प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 18.03.2019 को होना स्वीकृत तथ्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक की आय अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए तत्समय प्रचलित दर 237 रूपये प्रतिदिन के अनुसार एक माह में 26 कार्य दिवस मानते हुए 6,162 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की है, जबकि आय की क्षति की क्षतिपूर्ति के उद्धेश्य के लिए एक माह में 30 कार्य दिवस मानते हुए ही मासिक आय की गणना किया जाना उचित है। इस प्रकार मृतक की आय की क्षति के निर्धारण हेतु उसकी मासिक आय 237

x 30= 7,110 रूपये माना जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय 7110 x 12= 85,320/- रूपये मानी जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मृतक की आय में भविष्य में आय की वृद्धि की प्रत्याशा के लिए 40 प्रतिशत राशि जोड़ी गई है तथा मृतक की आयु **40 वर्ष** मानकर **15** का गुणक प्रयुक्त किया गया है, जो न्यायिक विनिश्चिय National Insurance Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi & Ors. में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार न्यायोचित है तथा इस पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है।

विद्वान विचारण न्यायालय ने व्यक्तिगत खर्च के रूप में मृतक पर पांच आश्रितों को ध्यान में रखते हुए 1/4 भाग की कटौती की है, जबकि मृतक पर उसके माता–पिता, जो प्रत्यर्थी क्रम–3 व 4 हैं, भी आश्रित हैं। ऐसी स्थिति में मृतक पर उसकी पत्नी, संताने तथा माता–पिता, इस प्रकार कुल 08 आश्रित हैं। अतः 08 आश्रितों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चिय की रोशनी में मृतक की आय से स्वयं पर होने वाले खर्च के रूप में **1/5** भाग की कटौती किया जाना उचित है।

अतः आय की क्षति की मद में निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है :–

क्र.सं.	मद	क्षतिपूर्ति राशि
1.	मृतक की वार्षिक आय	85,320/-
2.	भविष्य में होनेवाली आय की वृद्धि की प्रत्याशा	34,128/- (40% of the income)
3.	योग	1,19,448/-
4.	मृतक द्वारा स्वयं पर किये जानेवाले खर्च की कटौती (1/5)	23,890/- (1/5 of 119448)
5.	उक्त कटौती के पश्चात शेष राशि (अपीलार्थीगण की वार्षिक निर्भरता)	119448-23890=95,558/-
6.	मृतक की आयु के आधार पर प्रयोज्य गुणक	15
7.	आय की क्षति की क्षतिपूर्ति राशि	95558x15=**14,33,370/-**

अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मृतक की आय की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाई गई राशि **11,64,600/–**रूपये में **2,68,770/–** रूपये की वृद्धि करते हुए इस न्यायालय द्वारा आय की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि **14,33,370/–** रूपये दिलाया जाना उचित है।

पारम्परिक मद (Conventional heads)

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/विभाग द्वारा न्यायिक विनिश्चय National Insurance Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi & Ors. (2017) 16 SCC 680 में केवल पत्नी को जीवनसाथी की संगति, स्नेह एवं साहचर्य की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप 40,000/–रूपये की राशि दिलाए जाने का तर्क दिया गया है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक विनिश्चय United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder (2020) Supreme Court (SC) 425 (जो कि तीन सदस्यीय पीठ द्वारा पारित किया गया है) में, जीवनसाथी को मृतक की संगति, स्नेह एवं साहचर्य (Spousal Consortium), संतानों को पिता की संगति, स्नेह एवं साहचर्य (Parental Consortium) तथा माता–पिता को अपने पुत्र की संगति, स्नेह एवं साहचर्य (Filial Consortium) की वंचना की क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रत्येक को 40,000/–रूपये की राशि दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

वर्तमान् प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम संस्कार, सम्पदा की हानि हेतु 15–15,000 रूपये तथा साहचर्य की मद में अपीलार्थीगण को केवल 40,000 रूपये की राशि दिलाई है, जबकि उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चयों की रोशनी में दावेदार अंतिम संस्कार (Funeral) हेतु **15,000/–** रूपये, सम्पदा की हानि (Loss of Estate) हेतु **15,000/–** रूपये तथा अपीलार्थी–दावेदार क्रम–1 (पत्नी) मृतक की संगति, स्नेह एवं साहचर्य (Spousal Consortium), अपीलार्थी–दावेदार क्रम–2 से 6 (पुत्र–पुत्रियां) पिता की संगति, स्नेह एवं साहचर्य (Parental Consortium) तथा प्रत्यर्थी क्रम–3 व 4 (माता–पिता) अपने पुत्र की संगति, स्नेह एवं साहचर्य (Filial Consortium) की वंचना की क्षतिपूर्ति स्वरूप **40,000/–** रूपये प्रत्येक (**40,000x8=3,20,000**) रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार दावेदारों को कुल **3,50,000/–** रूपये की क्षतिपूर्ति राशि इस मद में दिलाया जाना उचित है।

इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण–दावेदार को दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि में उपर्युक्तानुसार वृद्धि करते हुए निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है।

क्र.सं.	मद	क्षतिपूर्ति राशि
1.	आय की क्षति की क्षतिपूर्ति राशि	14,33,370/-
2.	पारम्परिक मद की राशि	3,50,000/-
3.	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**17,83,370/-**

परिणामतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण–दावेदार को दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि **12,34,600/–** रूपये में उपर्युक्तानुसार **5,48,770/–**रूपये की वृद्धि करते हुए करते हुए इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण–दावेदार को कुल क्षतिपूर्ति राशि **17,83,370/–** रूपये दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई राशि, कुल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित होगी।

अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 17.07.2019 को अन्तरिम राहत के रूप में 5,00,000 रूपये की राशि प्राप्त की जा चुकी है, वह राशि भी उक्त क्षतिपूर्ति राशि में से समायोजित होगी।

जहॉ तक ब्याज का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज दर, ब्याज प्राप्त करने की तिथि तथा क्षतिपूर्ति राशि के आनुपतिक वितरण के क्रम में समस्त शर्तें विद्वान विचारण न्यायालय के आदेशानुसार प्रभावी एवं यथावत रहेंगी।

उपर्युक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है। तदनुसार लंबित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

75/VISHAL SHARMA